सूचना

"प्रवासी पंचायतों के लिये पंजीकरण"

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में प्रवासी पंचायतों के आयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की गई है।

आयोग द्वारा ऐसे प्रवासियों को प्रवासी पंचायतों में आमंत्रित किया जा रहा है, जो वर्तमान में राज्य के भीतर अथवा राज्य से बाहर निवास कर रहे हैं, किन्तु अपने मूल गांव में वापस आकर उद्यम स्थापित करने एवं स्थानीय विकास में अपना योगदान देने के इच्छुक हैं।

विशेष रूप से जनपद टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के मूल निवासी इच्छुक प्रवासियों से अनुरोध है कि वे प्रवासी पंचायत में प्रतिभाग करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन भरकर आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी **palayanniwaranayog@gmail.com** पर प्रेषित करें।

आवेदन हेतु आवश्यक विवरण :–

नाम	मूल ग्राम पंचायत जहाँ से पलायन किया	वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं	मोबाइल नम्बर

आयोग का उद्देश्य है कि प्रवासियों के अनुभव, कौशल एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्राम स्तर पर विकास को नई दिशा दी जाये तथा राज्य में पलायन की समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सके।